जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 73 प्रभात चूरू, गुरुवार 10 जुलाई, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ट्रंप की 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी से ब्रिक्स देश सहम गए

नये सदस्यों, सऊदी अरब व वियतनाम ने चुप्पी साधी। मलेशिया ने संतुलन बैठाया, यह कहकर कि उसका ब्रिक्स के सिद्धांतों में विश्वास है, पर, अमेरिका ''इकॉनमी'' की दृष्टि से उसका अति महत्वपूर्ण पार्टनर है''

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जुलाई। जिसे ग्लोबल साउथ की एकजुटता का एक क्षण होना चाहिए था, ''रियो डी जिनेरो'' में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वह भव्य समापन एक गंभीर स्थिति के साथ समाप्त हुआ। इसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने होस्ट किया था। लेकिन समापन सत्र से कुछ घंटे पहले तब माहौल गंभीर हो गया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक कूटनीतिक विस्फोट करते हुए एंटी-अमेरिकी नीतियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाने की घोषणा की।

नाम नहीं लिए गए थे, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था। दस सदस्यीय ब्रिक्स समूह, जिसमें अब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका के अलावा, ईरान, सऊदी अरब, और मलेशिया जैसे देश भी शामिल हो गए हैं, को अब चेतावनी दी जा चुकी थी। संदेश अस्पष्ट नहीं था। यह ट्रंप का परंपरागत तरीका था, मुँहफट, एकतरफा और व्यवधान पैदा करने वाला।

समय भी उतना ही उत्तेजक था। ट्रंप की धमकी पुतिन के साथ फोन कॉल के बाद आई थी, जिसे ट्रंप ने ''बहुत निराशाजनक'' बताया था। एयर फोर्स वन से बोलते हुए, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुतिन यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर गंभीर हैं। इसके पीछे छिपा संदेश डरावना था। ट्रंप ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव और रूस की निंदा करने से इसके इन्कार को अमेरिकी भू-राजनीतिक प्रभुत्व के लिए एक खतरे के रूप में देख सकते हैं और वह उन्हें सजा देने के लिए तैयार हैं।

- चीन, एक अन्य ब्रिक्स देश, तो खुलकर अमेरिका का सामना करने को तैयार है, पर, भारत तलवार की धार पर चल रहा है। भारत अन्य ब्रिक्स देशों के साथ ब्रिक्स सिद्धांतों पर समझौता तो नहीं करना चाहता, पर, ट्रंप की इस धमकी, कि जो ब्रिक्स देश अमेरिका के हितों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उन पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, ने भारत को भी नरम बनने के लिए मजबूर किया।
- भारत, गली ढूढ़ने का प्रयास कर रहा है कि अमेरिका के हितों का क्या मतलब है। क्या रूस से ऑयल खरीदना, ''अमेरिका विरोधी'' गतिविधि मानी जा सकती है या ईरान से व्यापार बढ़ाना, अमेरिका के हितों को कुठाराघात पहुँचाने वाली कार्यवाही करार दी जा सकती है या डॉलर के विकल्प के रूप में अन्य मुद्रा को पनपाना अमेरिका के व्यापारिक हितों के खिलाफ गतिविधि मानी जा सकती है।
- अगर हाँ, तो भारत के टैक्सटाइल्स, फार्मास्युटिकल्स और सॉफ्टवेयर के अमेरिका को निर्यात पर यदि 10 प्रतिशत टैरिफ लगाई गई तो भारत की इकॉनमी को अस्थिर करने के लिए यह पर्याप्त है।
- भारत ने होशियारी से कवच तो ओढ़ा, पर, लड़ने के लिए म्यान से तलवार नहीं निकाली।

कुछ ही घंटों में वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई। उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं गिर गईं। ब्रिक्स से जुड़े देशों के शेयरों में उतार-चढ़ाव आया। फिर भी रियो में एकत्रित नेताओं ने संयम बरतने का विकल्प चुना। लूला ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनके वरिष्ठ सलाहकार, सेल्सो अमोरिम ने कहा कि इस तरह की धमकियां ''ब्रिक्स'' जैसी संस्था की आवश्यकता को ही दर्शाती हैं'' और खास तौर पर यह बताया कि ब्रिक्स ने किसी भी तरह से अमेरिका को धमकी नहीं दी है।

भारत का प्रतिनिधिमंडल, अधिकांश अन्य देशों की तरह, ''वेट एंड वॉच'' की स्थिति में था। आधिकारिक प्रतिक्रियाएं संतुलित थीं, अनौपचारिक टिप्पणियां और भी अधिक सतर्क थीं। कोई भी ट्रंप को उकसाना नहीं चाहता,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने पेपर लीक का सारा रिकॉर्ड गुरुवार को तलब किया

जयपुर, 9 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार से समस्त रिकार्ड तलब करते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार को रखी है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कराई। महाधिवक्ता ने कहा कि 13 अगस्त 2024 को एसओजी ने अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिश भेजी थी और इसी दिन एसओजी की रिपोर्ट पेश करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। महाधिवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पास कैसे आई, जबकि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई आवेदन ही नहीं किया था। इससे साबित होता है की याचिकाकर्ता का कंडक्ट उचित नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि एसओजी जैसी संस्था से अनाधिकृत रिपोर्ट निकलना आरपीएससी से पेपर लीक होने के समान है।

- सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एसओजी जैसी संस्था से अनाधिकृत रिपोर्ट निकलना पेपर लीक होने के समान है।

महाधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया कि एसओजी की सिफारिश के बाद महाधिवक्ता ने सिफारिश की और आखिर में कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने 200 व्यापारिक सौदे (ट्रेड डील्स) करने की बात की थी

पर, अब तक, सी.एन.एन. न्यूज़ के अनुसार, कुल ''तीन डील्स'' हस्ताक्षरित हुई हैं तथा अमेरिका को अन्य ''डील्स'' हस्ताक्षरित करने की अंतिम तिथि, 9 जुलाई से बढ़ाकर एक अगस्त करनी पड़ी है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जुलाई। आज 9 जुलाई है, जिस दिन ट्रंप द्वारा घोषित रैसिप्रोकल टैरिफ, जिसमें 2 अप्रैल (लिबरेशन डे) पर 90 दिन की मोहलत दी गई थी, प्रभावी होना था। यह तारीख आई और चली गई, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने की जल्दी में नहीं है। जिन देशों को ट्रंप ने उनके निर्यात पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं दिखता, जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने को लेकर उत्सुक या बेचैन हो। अमेरिका ने अब नए टैरिफ की शुरुआत की तारीख को 1 अगस्त तक टाल दिया है, ताकि कुछ व्यापार समझौते तब तक हो जाएं।

विडंबना यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 200 व्यापार समझौते करने का वादा किया था, लेकिन अब तक वे सिर्फ तीन ही कर पाए हैं, अमेरिकी समाचार नेटवर्क सीएनएन ने चुटीले अंदाज़ में यह खबर दी।

इसका कारण शायद यह नहीं है कि कुछ देशों को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि यह भी हो सकता है कि अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों को खुद ही नहीं पता कि वे अपने साझेदारों से वास्तव में क्या चाहते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, कई छोटे व्यापारिक देश अमेरिका को अपने बाज़ारों में अधिक

- और, अधिक ट्रेड डील्स हस्ताक्षरित न होने के कारण यह नहीं है कि अन्य देश अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल करने के इच्छुक नहीं हैं।
- वास्तविक कारण है कि अमेरिका मन नहीं बना पाया है कि ''टैरिफ रिवीज़न'' से अमेरिका चाहता क्या है।
- राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस संदर्भ में प्रारंभ में ही कहा था कि लगभग सभी देश, वर्षों से, कई दशकों से, अमेरिका को लूट रहे हैं तथा लूटने के बाद, अमेरिका के पीठ पीछे अमेरिका का मज़ाक भी बनाते हैं कि अमेरिका कितना ''बेवकूफ'' देश है।
- अब ट्रंप का मंतव्य है, विश्व के अन्य देशों से आगे बढ़कर, टैरिफ के माध्यम से ''दण्डनीय टैक्स'' वसूलना। अतः तीन छोटे-छोटे देशों से ''ट्रेड डील'' हस्ताक्षरित करके यह ''टैक्स'' पर्याप्त मात्रा में नहीं वसूला जा सकता। अतः ''ट्रेड डील'' साइन करने की तारीख अमेरिका ने स्वयमेव बढ़ाई है।
- वैसे भी सैंकड़ों देशों से हज़ारों आइटम्स पर टैरिफ निश्चित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सभी देशों के ''प्रोफेशनल'' लगे हुए हैं और काम सिमटता नज़र नहीं आ रहा, चाहे कई बार अंतिम तारीख बढ़ाई जाये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में दिखा महागठबंधन की एकता का दम

राहुल और तेजस्वी ने मिल कर पटना में मतदाता सूची पूनरीक्षण के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जुलाई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ पटना में एक विरोध-जुलूस का नेतृत्व किया।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव भी राहुल के साथ शामिल हुए, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक बिहार की राजधानी में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने का प्रयास किया।

राहुल और तेजस्वी ने चुनाव आयोग के पटना कार्यालय तक जुलूस निकाला। यह प्रदर्शन बिहार में चुनावों से पहले विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ था। इस प्रक्रिया ने मताधिकार से वंचित किए जाने की आशंका को जन्म दिया है।

पुलिस ने इस जुलूस को मंगलेस रोड पर स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों राजद कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर डटे रहे।

राजद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ताओं ने पटना के मनेर इलाके में टायर जलाए और सड़कों को अवरुद्ध किया। राज्यभर में कई ट्रेनों को रोका गया, जिनमें श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस भी शामिल थीं।

बिहार के अन्य हिस्सों में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ जुलूस निकाले गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारत निर्वाचन आयोग

- बिहार की राजधानी पटना और राज्य के कई अन्य शहरों में बंद का काफी असर दिखा। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ मिल कर दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कराते देखे गए।
- पटना में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के राज्य कार्यालय तक मार्च किया। पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को रोकने की मशक्कत करते दिखा।
- विपक्षी दलों का आरोप है कि पुनरीक्षण की घोषणा जानबूझकर देरी से की गई और ऐसे दस्तावेज़ माँगे गए हैं, जिनसे पिछड़े व गरीब मतदान से वंचित हो जाएं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहरे समुद्र में बचाव में सक्षम युद्धपोत नौसेना में शामिल

नयी दिल्ली, 09 जुलाई। गहरे समुद्र में गोताखोरी तथा बचाव अभियान चलाने में सक्षम स्वदेशी युद्धपोत ''निस्तार'' नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। देश की प्रमुख शिपयार्ड कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मंगलवार को विशाखापत्तनम में नौसेना को यह युद्धपोत सौंपा।

इस युद्धपोत को भारतीय नौवहन के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित किया गया है और यह गहरे समुद्र में गोताखोरी तथा बचाव अभियान चला सकता है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना यह क्षमता हासिल करने वाली दुनिया की चुनिंदा नौसेनाओं में शामिल हो गयी है।

- हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित पूर्णतया स्वदेशी युद्धपोत विशाखापतनम में नौसेना को सौंपा गया।

इस युद्धपोत का नाम 'निस्तार' संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ मुक्ति, बचाव या मोक्ष है। निस्तार 118 मीटर लंबा है और लगभग दस हजार टन भार वाले इस युद्धपोत में अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण लगे हैं।

11 जुलाई को तय समय पर देश भर में रिलीज़ होगी ''उदयपुर फाइल्स''

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका अवकाश के बाद नियमित बैंच के सामने पेश की जाए। तब तक फिल्म रिलीज़ होने दी जाए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या पर आधारित फिल्म ''उदयपुर फाइल्स'' की रिलीज़ पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया और हत्याकांड के एक आरोपी को कोई तात्कालिक राहत देने से भी मना कर दिया। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज़ होने जा रही है। संदर्भित याचिका हत्याकांड के एक आरोपी ने दायर की थी।

फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा भी दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म में जिस प्रकार का संदेश दिया गया है, उसके कारण देश के विभिन्न भागों साम्प्रदायिक हिंसा होने की आशंका है। उन्होंने फिल्म के ट्रेलर को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी रिलीज़ रद्द करने की मांग की थी।

सेंसर बोर्ड का कहना है कि ''उदयपुर फाइल्स'' फिल्म से आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माता से यह भी कहा है कि वे इस मामले में उपस्थित वकीलों - कपिल सिब्बल (मदनी की ओर से) और एएसजी चेतन शर्मा (सीबीएफसी की ओर से) - के लिए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करें।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म का ट्रेलर यह दर्शाता है कि साहू की हत्या मुस्लिम समुदाय के नेताओं की मिलीभगत से की गई थी, और यह इस प्रकार का संदेश हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच गंभीर दरार पैदा कर सकता है।

याचिका में कहा गया, ''यह ट्रेलर पूरे मुस्लिम समुदाय को पूर्वाग्रह के साथ प्रस्तुत करता है, जिससे समुदाय के सदस्यों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। यह फिल्म अत्यंत भड़काऊ प्रकृति की है, जो समुदायों के बीच फूट डाल सकती है और देशभर में सार्वजनिक शांति व कानून-व्यवस्था के लिये गंभीर अव्यवस्था का कारण बन सकती है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और कहा कि मोहम्मद जावेद (हत्या के एक आरोपी) द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद 14 जुलाई को समुचित पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बीच फिल्म रिलीज़ हो सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म घटनाओं का एकतरफा चित्रण करती है और इससे उनके मुवक्किल का

- यह याचिका कन्हैयालाल हत्या केस के एक आरोपी जावेद ने दायर की थी और कहा था कि फिल्म से एन.आई.ए. की जयपुर कोर्ट में चल रहा मुकदमा प्रभावित होगा।
- यह फिल्म उदयपुर में एक दर्ज़ी कन्हैयालाल साहू की दिन दहाड़े हुई नृशंस हत्या पर आधारित है।
- फिल्म की रिलीज़ के खिलाफ जमीयत-ए-उलेमा ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला

विंडहोक /नयी दिल्ली, 09 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ़ द मोस्ट एन्शिएंट वेल्वित्शिया मिराबिलिस' से सम्मानित किया गया है। नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा ने बुधवार को यहां मोदी के साथ वार्ता के बाद उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। डॉ. नेटुम्बो ने पुरस्कार प्रदान करने से पहले कहा , नामीबियाई संविधान द्वारा मुझे प्रदत्त शक्ति के द्वारा मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शियेंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस प्रदान करने का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने नामीबिया और विश्व स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास तथा शांति और न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नंदीनदैतवा ने भारतीय प्र.मंत्री को यह सम्मान प्रदान किया।

वकील व ''क्लाइंट'' के बीच गोपनीयता की रक्षा में कूदा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद, प्रथम दिन इस मामले की सुनवाई करेगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जुलाई। कानूनी पेशे की स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है, जिनमें जांच एजेंसियां उन वकीलों को समन भेज रही हैं, जो जांच के दौरान आरोपियों को कानूनी सलाह देते हैं या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।

जांच के दौरान कानूनी राय देने या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को समन भेजने से संबंधित मामलों पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी, अर्थात् सुप्रीम कोर्ट के सात सप्ताह के ग्रीष्मावकाश के बाद पुनः खुलने वाले दिन। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया भी शामिल होंगे।

यह कार्रवाई एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) द्वारा हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजने की पृष्ठभूमि में आई है। यह समन केयर हैल्थ इन्श्योरैंस द्वारा पूर्व रैलिगेयर एन्टरप्राइज़ेज की अध्यक्ष रश्मि सलूजा को 22.7 मिलियन से अधिक कर्मचारी स्टॉक विकल्प एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ई.एस.ओ.पी.), जिसकी कीमत 250 करोड़ से अधिक है, जारी करने के मामले की जांच से संबंधित था।

दातार ने इस ई.एस.ओ.पी. जारी करने के पक्ष में कानूनी राय दी थी, जबकि वेणुगोपाल उस मामले में अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड थे। ई.डी. द्वारा इन दोनों वरिष्ठ वकीलों को समन भेजे जाने की देशभर के कई बार एसोसिएशनों ने तीखी आलोचना की और इसे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे वकीलों को डराने की कोशिश करार दिया।

आलोचना तथा विरोध के बाद, ई.डी. ने समन वापस ले लिया और एक आंतरिक निर्देश जारी किया, जिसमें अपने फील्ड ऑफिसों को चेतावनी दी कि वे आयकर अधिनियम की धारा 132 का उल्लंघन करते हुए किसी वकील को समन न भेजें। ई.डी. ने यह स्पष्ट किया कि यदि अपवाद स्वरूप कोई समन आवश्यक हो, तो उसे प्रवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह स्वतः संज्ञान दर्शाता है कि न्यायपालिका इस बात को लेकर चिंतित है कि ऐसे कदम कानूनी प्रतिनिधित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और न्याय तक पहुंच तथा मुवक्किल की गोपनीयता जैसे व्यापक सिद्धांतों को खतरे में डाल सकते हैं।

- जैसा कि विदित ही है, ईडी ने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार व प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था।
- मसला था, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसकी कीमत 250 करोड़ रूपए थी, को केयर हैल्थ इंशोरेन्स कंपनी द्वारा रैलीगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व अध्यक्षा रश्मि सलूजा को मैनेज करने के लिए देना।
- दातार ने कानूनी राय दी थी कि यह ट्राँज़ैक्शन पूर्णतया वैध है तथा वेणुगोपाल इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे।
- ईडी ने इन वरिष्ठ वकीलों को पूछताछ के लिए समन करके बुलवाया था।
- देश भर में कई बार एसोसिएशनों ने इसे वरिष्ठ वकीलों को डराने व दबाव में लाने की कार्यवाही माना था जबकि एडवोकेट केवल अपनी राय देकर अपनी प्रोफैशनल जिम्मेवारी को पूरा कर रहे थे।

बडौदा के पास पुल टूटा, 13 की मौत

वडोदरा, 09 जुलाई। बुधवार सुबह गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना पुल टूट गया। हादसे के समय पुल से गाड़ियां गुजर रही थीं। पुल टूटने पर दो ट्रक, दो कार, एक रिक्शा और एक बाइक नदी में गिर गए तथा एक टैंकर पुल के टूटे सिरे पर फंस गया।

हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। दो लोग लापता हैं। मरने वालों में दो बच्चे भी हैं। फायर ब्रिगेड की तीन टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। पैंतालीस साल पुराना यह पुल दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है।

- महिसागर नदी पर बना यह पुल दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की।